Centre for CIVIL SOCIETY
Social Change through Public Policy

सर्वेक्षण से गैरकानूनी तरीके से बाहर रखने के खिलाफ शिकायत कैसे करे?

सर्वेक्षण से गैरकानूनी तरीके से बाहर रखने के खिलाफ शिकायत

(अध्यक्ष का नाम)________

अध्यक्ष

(ज़ोन)________

(म्युनिसिपल कारपोरेशन)

(म्युनिसिपल कारपोरेशन का पता)

दिल्ली- (पिन कोड....)____

तारीख: (शिकायत दायर करने की तारीख)

विषय: (विक्रय की जगह)________ ज़ोन में सर्वेक्षण प्रक्रिया से गैरकानूनी तरीके से बाहर रखने के खिलाफ शिकायत।

आदरणीय श्रीमान/श्रीमती (अध्यक्ष का नाम)____

मैं (विक्रय की जगह और ज़ोन)________ ज़ोन में (विक्रेता/विक्रेताओं के नाम)____ के विक्रय के स्थान को मौजूदा सर्वेक्षण प्रक्रिया से गैरकानूनी तरीके से बाहर रखने के विषय पर आपका ध्यान दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहा/रही हूँ।

____
____
____

कृपया नीचे दी गयी लाइनों में उस सर्वेक्षण से बाहर रखने से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख करें जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है। प्रभावित विक्रेता के नाम और संख्या का उल्लेख करें। (अगर विक्रेताओं की सूची लंबी है तो उन्हें सामूहिक रूप से पीड़ित विक्रेता कहा जा सकता है। इस तरह के सभी प्रभावित विक्रेताओं की सूची शिकायत के साथ संलग्नक के तौर पर संलग्न की जाएगी।)

मैं आपसे इस संबंध में निम्न चीजों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ:

1. फुटकर विक्रेता (आजीविका संरक्षण और फुटकर विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 चार मार्च, 2014 को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और एक मई, 2014 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था; यह शहरी फुटकर विक्रेताओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है।

(दिनांक जब से विक्रेता ने अपना काम शुरू किया था)

(संलग्नक नंबर)

2. पीड़ित विक्रेता अपनी निर्दिष्ट जगह पर ____________ से विक्रय करता आ रहा/रही है जो कि अधिनियम के बनने से काफी पहले से है, दिनांक __.__.___ का बिल/चालान संलग्नक ____ के तौर पर लगाया गया है |

3. जैसा कि नीचे बताया गया है उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के तहत संबंधित ज़ोन की टाउन वेंडिंग कमेटी के लिए संबंधित इलाके में मौजूद सभी फुटकर विक्रेताओं की पहचान करने की खातिर सर्वेक्षण करना जरूरी है।

"*3.* स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण और बेदखली या स्थानांतरण से सुरक्षा। - *(1)* टाउन वेंडिंग कमेटी अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर आने वाले सभी मौजूदा स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण करेगी, इस अवधि के भीतर और जैसा कि इस योजना में निर्दिष्ट किया गया है, और बाद में हर पांच साल में कम से कम एक बार सर्वेक्षण किया जाएगा |"

(जोर दिया जाता है)

4. इसके अलावा, संबंधित क्षेत्र की पुलिस, पीड़ित विक्रेताओं को मनमाने तरीके से हटाने में लिप्त है। सर्वेक्षण करने से पहले बलपूर्वक बेदखली का यह तरीका उक्त अधिनियम की धारा 3 (3) का उल्लंघन है। यह कहता है:

"*3.* फुटकर विक्रेताओं का सर्वेक्षण और बेदखली या स्थानांतरण से सुरक्षा।- *(3)* कोई फुटकर विक्रेता को उसके स्थान से बेदखल नहीं किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, उसे तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उप-धारा ***(1)*** के तहत निर्दिष्ट सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता है और सभी स्ट्रीट वेंडरों को वेंडिंग का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है "।

(जोर दिया जाता है)

5. यह बेदखली इसलिए भी अवैध है क्योंकि टाउन वेंडिंग समिति ने उपरोक्त क्षेत्र में ऐसा कोई सर्वेक्षण पूरा नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 27 के अनुसार यह उत्पीड़न है।

"27. पुलिस और अन्य अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न की रोकथाम-

उस समय लागू किसी भी दूसरे कानून में चाहे कुछ भी क्यों न हो, अपने प्रमाणपत्र के नियम और शर्तों के अनुसार फुटकर विक्रय की गतिविधियों में लगे किसी भी फुटकर विक्रेता को कोई भी व्यक्ति या पुलिस या उस समय लागू कानून के तहत अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा कोई भी दूसरा प्राधिकरण इस तरह के अधिकारों का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता।"

(जोर दिया जाता है)

6. एक पत्र में (अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने दिशा निर्देश जारी करते हुए लिखा कि,

"स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट - *2014* सड़क-विक्रेताओं को उन्हें उनके अपने प्रशासनिक मामलों में भाग दिलाकर, उन्हें शहर के स्तर पर मजबूत बनाता है। यह अधिनियम सड़क विक्रेताओं की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित करने और उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग / पहचान पत्र जारी करने का निर्देश देता है। हालांकि, अधिनियम का महान उद्देश्य नगर पालिका और पुलिस अधिकारियों के कार्यों से बार-बार अवरुद्ध होता है, विक्रेताओं को शारीरिक और वित्तीय दोनों तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो केंद्रीय /संघ राज्य द्वारा संचालित अधिनियम के प्रावधानों और भावना के विरुद्ध है।अधिनियम की भावना और प्रावधानों के मद्देनजर,साथ ही आत्मानिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए , मैं आपसे सभी राज्य डीजीपी से विनम्र भाव से आग्रह करूंगा सड़क विक्रेताओं को किसी भी तरह से उत्पीड़ितऔर बेदखल न किया जाए, जब तक कि कानून द्वारा अनिवार्य न हो।इसके अलावा, उन्हें सलाह दी जा सकती है कि यदि कोई पुलिस कर्मी इस जनादेश का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ स्ट्रीट वेंडर्स को परेशान करने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

(जोर दिया जाता है)

7. पीड़ित विक्रेता/विक्रेताओं को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है क्योंकि सारे ज़रूरी दस्तावेज़ होने के बावजूद उन्हें बिक्री की मंजूरी नहीं है।

(दिल्ली में सर्वेक्षण के शुरू होने की तारीख)

8. दिल्ली में सर्वेक्षण की प्रक्रिया _____________ से जारी है और 30 मई, 2021 को पूरी होगी। इसलिए सभी टाउन वेंडिंग कमेटी के ज़ोन में सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए नहीं तो कुछ बदकिस्मत विक्रेता इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे और भविष्य में अनुचित रूप से अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे।
9. फेडरेशन लाजपत नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन बनाम एसडीएमसी के छह अप्रैल 2021 के हालिया फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि लाजपत नगर मार्केट एरिया में सर्वेक्षण प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता और इसे बिना किसी हस्तक्षेप के जारी रखा जाना चाहिए। इसका पालन करते हुए पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश दिया जाना चाहिए।
10. पीड़ित विक्रेता/विक्रेताओं की गैरकानूनी बेदखली से उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले कोई भी पेशा करने, या किसी व्यवसाय, व्यापार को चलाने और अपनी आजीविका अर्जित करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उन्हें मिले समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है।
11. उपरोक्त चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे इस शिकायत पर उचित संज्ञान लेने और सात दिनों के भीतर निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

क. माननीय न्यायालय द्वारा सुनाए गए आदेश का पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें;

ख. संबंधित अधिकारियों को (शिकायतकर्ता के विक्रय की जगह) _____________ ज़ोन में तत्काल सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दें;

ग. सुनिश्चित करें कि पीड़ित विक्रेता/विक्रेताओं के खिलाफ कोई प्रतिरोधी कार्रवाई न की जाए और टाउन वेंडिंग कमिटी के सर्वेक्षण पूरे करने तक उन्हें _________ पर विक्रय करने दिया जाए;

(ऊपर जैसे ही, शिकायतकर्ता के विक्रय की जगह)

घ. दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें; तथा पीड़ित विक्रेता/विक्रेताओं के मौलिक और कानूनी अधिकार को बहाल करने के लिए जो भी अन्य आवश्यक कार्रवाई जरूरी है उसे करें; ऐसा न होने पर पीड़ित विक्रेता/विक्रेताओं उचित कानूनी अदालत में अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कार्यवाही शुरू करने सहित उचित कानूनी उपायों के लिए सहारा लेने के लिए विवश होंगे।

आपका आज्ञाकारी,

(शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर)

(नाम)

(पता)

(ईमेल / फ़ोन नंबर)

प्रतिलिपि:

1) श्री अनिल बैजल, उपराज्यपाल, 6, राज निवास मार्ग, लुडलो कैसल, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली, दिल्ली- 110054
2) श्री सत्येन्द्र जैन, मंत्री, शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली - 110002
3) दिल्ली पुलिस कमिशनर, दिल्ली, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
4) श्री विपिन कुमार गर्ग, उप सचिव, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 10 वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली - 110001
5) आयुक्त का नाम, आयुक्त, उत्तरी दिल्ली/दक्षिणी दिल्ली/पूर्वी दिल्ली नगर निगम, [नगर निगम का पता]

Centre for CIVIL SOCIETY
Social Change through Public Policy

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER
CITY SADAR PAHAR GANJ ZONE

1563134/2020/UPA-II SECTION

Durga Shanker Mishra
Secretary

Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
Nirman Bhawan, New Delhi 110011

D.O. No. K-12017(10)/6/2020-UPA-II-UD-Part(I) (EFS- 9089747)
July 20, 2020

Dear Ajay,

I draw your kind attention to the recently launched PM SVANidhi (Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi) Scheme by my Ministry to cater to the working capital requirements of the street vendors to resume their livelihoods, which has been adversely affected due to Covid-19 lockdown. The street vendors are one of the most vulnerable nano-entrepreneurs serving different needs of urban economy. This scheme has been designed keeping in mind to take the vendors out of perpetual indebtedness and help them to move up the economic ladder.

2. Under PM SVANidhi, street vendors can avail a collateral free loan upto Rs 10,000/- for 1 year tenure. Incentives in the form of interest subsidy (@7% per annum) and cash-back (up to Rs 1,200 per annum) have been provided to promote good repayment behaviour and digital transactions respectively. Scheme entails enhanced next tranche of loan on early or timely repayment. Besides Banks, for the first time Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and Micro-Finance Institutions (MFIs) have been included as Lending Institutions (LIs) for maximising the Scheme's reach. A Graded Guarantee Cover is being provided through Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) to these LIs, on portfolio basis, to encourage lending. The duration of the scheme is till March 2022.

3. The Street Vendors Act, 2014 seeks to empower the street vendors by making them participate in the administration of their affairs at the city level. The Act further directs to conduct a survey to identify the street vendors and issue them the Certificate of Vending/ Identity Card. However, the noble objective of the Act gets disturbed time and again with the actions of the municipal and police officials as the vendors are subjected to frequent harassments, both physical and financial, which is against the provisions and spirit of this Central Act being administered through the States/ UTs.

4. Further, the credit extended to street vendors under PM SVANidhi will become a bad loan in case the vendor is subjected to undue harassment and eviction since they operate on extremely thin margins. Therefore, acknowledging that PM SVANidhi as one of the flagship Schemes of AtmaNirbhar Bharat package, a supportive eco-system is the need of the hour, wherein vendors can improve upon their vending practices and expand their existing livelihoods.

contd...2/-

Office Address: Room No. 122 'C' Wing, Nirman Bhawan, New Delhi 110011
Tel. 011 23062377, 23061179 Fax: 011 23061459 Email: secyurban@nic.in
Website: www.mohua.gov.in

Scanned with CamScanner

134/2020/UPA-II SECTION

-2-

5. In view of the spirit & provisions of the Street Vendors Act, 2014 as well as that of AtmaNirbhar Bharat, I would urge you to kindly sensitize all the State DGPs that the street vendors and particularly the beneficiaries of PM SVANidhi Scheme are not subjected to any kind of harassment and eviction, unless mandated by law. Further, they may be advised that if any police personnel violates this mandate, a strict action may be initiated against them to discourage harassment of Street Vendors

Regards,

Yours Sincerely,

(Durga Shanker Mishra)

Shri Ajay Kumar Bhalla
Home Secretary,
Ministry of Home Affairs
North Block,
New Delhi.

Scanned with CamScanner